

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 47/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री शारदा देवी को अंचल निरीक्षक श्री गणेश चंद्र का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा सुख थाना नं0 692 गैरमजरूआ खाता नं0 24/25 दाग नं0 22 रकवा 01-15-01 किस्म पट्टी कृषि श्री लोकनाथ साठवाडी पिता राम शैला राम साकिन के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री लोकनाथ साठवाडी को दिनांक समय पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।



अंचल अधिकारी,  
महागामा।

आज लेखे उपस्थापित। नोटिस प्राप्त। पर मोहन देव सुखे  
द्वारा नोटिस में प्रतिक्रिया किया है कि लोकनाथ साठवाडी  
पिता राम शैला राम के कोई पत्नी नहीं रहे है।

24/5/16  
28/5/16

अभिलेख उपस्थापित।  
युक्त अधिकाधिक नोटिस निर्गत करें।

sandha

अंचल अधिकारी  
महागामा।



05/07/2021

अग्निपैद्य उपलब्धि।  
राजसव उपनिवेशक - लह-प्रभाती अंगण निरीक्षक,  
महागामा के प्रसंगत अग्नि का भौतिक प्रतिवेदन  
के साथ अग्निपैद्यीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।  
जिसे का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार अग्निपैद्य  
संस्थापक पंजी-II क्षेत्र के अग्नि क्षेत्र  
पहाचिकारी ले प्राप्त है। वर्तमान में ऊपर  
अग्नि ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के  
अंतर्गत है।

अग्नि उपलब्धि के आलोक में  
अग्निपैद्य की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

~~लेखापि।~~  
~~अंगण~~  
महागामा

~~अंगण निरीक्षक~~  
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,  
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या ...५७.../2016-17 लोकनाथ भारवाडी पिता-  
राजकौतार राम का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या .....  
५७ /2016-17 लोकनाथ भारवाडी पिता-राजकौतार राम का जांच  
प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरान्त पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना  
नं०-692 के गैरमजरुआ खाता सं०-24 / 25 के अंदर दाग नं०-32 का अंश रकवा .....  
०१-१५-०१ धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल  
पदाधिकारी, गोड्डा के R.F. केश नं०-११/६०४ के माध्यम से  
लोकनाथ भारवाडी पिता-राजकौतार राम को प्राप्त हुआ है, जिसकी  
छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई०सी०एल० के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख  
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

